झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2018

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज को जोड़ा जाना

बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2018

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखंड राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में कतिपय राजकीय प्रयोजनार्थ उर्दू, संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, तथा उड़िया भाषा के अतिरिक्त मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा की मान्यता देने के लिये अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत राज्य के 69वें वर्ष में झारखंड राज्य विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:

(1) यह अधिनियम बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज को जोड़ा जाना है-

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

अन्य द्वितीय राजभाषा: राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिये राज्य के भाषा-भाषियों के हित में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका एवं भूमिज भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी।"

यह विधेयक बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 20 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 20 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 38--50--3-8-2018